

दिल्ली राजपत्र (भाग 4) असाधारण में प्रकाशनार्थ
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
 वित्त (टी ब इ) विभाग
 दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट,
 नई दिल्ली-110002.

संका.5(111)/वित्त (कर एवं स्थापना) /2007-08/उत्तरसंख्या | 159

दिनांक 19.11.07

अधिकारियम्

संका.5(111)/वित्त (कर एवं स्थापना) /2007-08/ - भारतीय सुरक्षक (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम संख्या 10) की भारा (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एततद्वारा नवम्बर, 2007 के 20वें दिन को सुन्दर अधिनियम के लागू होने के लाप में नियत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आवेदा से तथा उनके नाम पर

(अजय कुमार गर्ग)
 संयुक्त सचिव, (वित्त/योजना)

संका.5(111)/वित्त (कर एवं स्थापना) /2007-08/उत्तरसंख्या | 159

दिनांक 19.11.07

संशोधित नियमालाओं को प्रेषित :-

- (1) सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक आतिरिक्त प्रति संहित दिल्ली राजपत्र (भाग 4) असाधारण में आज की तिथि में प्रकाशनार्थ ।
- (2) सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- (3) सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- (4) प्रधान सचिव, उपराज्यपाल राज निवास मार्ग, दिल्ली ।
- (5) प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राजसभा क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (6) सचिव, राजस्व एवं मण्डलीय आयुक्त, राजसभा क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (7) सचिव, राजस्व एवं मण्डलीय आयुक्त, राजसभा क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (8) विदेश कार्यालयिकारी, मुख्य सचिव, राजसभा क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (9) उपसचिव एवं स्थायी, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (10) उपसचिव एवं स्थायी, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (11) गार्ड फार्मल
- (12) वैद सार्विट

(अजय कुमार गर्ग)
 संयुक्त सचिव, (वित्त/योजना)

FROM:

TO:23931269

P.1

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV-EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (TAXES & ESTABLISHMENT) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, 4TH LEVEL, 'A' WING, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

F.5(111)/Fin(T&E)/2007-08/

Dated:

NOTIFICATION

F.5(111)/Fin(T&E)/2007-08/ In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Indian Stamp (Delhi Amendment) Act, 2007, (Delhi Act No. 10 of 2007) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 20th day of November 2007, as the date on from which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ajay Kumar Garg)
Joint Secretary (Finance/Planning)

F.5(111)/Fin(T&E)/2007-08/ *[Signature]* | 159

Dated: 19.11.07

Copy forwarded to:

1. The Secretary, GAD, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi (In duplicate with Hindi version) with the request to publish the order in the Delhi Gazette part -IV extraordinary to today's date.
2. The Secretary to Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
3. The Secretary to Govt. of India, Ministry of Finance, New Delhi.
4. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor Delhi.
5. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.
6. The Secretary to the Finance Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.
7. The Secretary to the Revenue Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.
8. The Secretary (Revenue) and Divisional Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5 Sham Nath Marg, Delhi.
9. TI Officer, Delhi Secretariat, Govt. of National Capital Territory of Delhi
10. Guard file.
11. Website

(Ajay Kumar Garg)
Joint Secretary (Finance/Planning)